

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, शिवहर

वाद सं०. 75/2020

सरकार बनाम प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पिता-जगदीश सहनी,
सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहाँ, जिला-शिवहर
(बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत)

आदेश की
क्र० सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
गयी कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी,
तारीख सही

12/10/2020

आदेश

पुलिस अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक-1089/अप०शा०(पी०) दिनांक-29.09.2020 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह वाद आरम्भ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के अपराधकर्मी प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पिता-जगदीश सहनी सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहाँ, जिला-शिवहर, के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं, ये भा०द०वि० के अध्याय-16 तथा अध्याय-17 के अंतर्गत आदतन अपराध करता है। यह एक असामाजिक तत्व है, जिसके कारण शिवहर जिला एवं श्यामपुर भटहाँ थाना क्षेत्र में अशांति व्याप्त रहती है एवं क्षेत्र में इसकी उपस्थिति से आम लोगों के बीच भय व्याप्त है तथा आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। वर्तमान में यह न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। आगामी विधान सभा चुनाव-2020 के मौके पर ये अपने दुष्प्रभाव से विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस संबंध में श्यामपुर भटहाँ थाना सनहा सं०-703/20, दिनांक-26.09.20, एवं सनहा सं०-717/20, दिनांक-27.09.20 अंकित किया गया है।

उपरोक्त अपराधकर्मी का निम्नांकित काण्डों में आरोपित होना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर द्वारा प्रतिवेदित है, जिस पर पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा भी सहमति प्रतिवेदित है। उसके उपर आपराधिक कांड यथा-

1. श्यामपुर भटहाँ थाना कांड सं०-87/14, दिनांक-27.11.2014, धारा- 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम दर्ज है। इसके अलावे कई अन्य कांडों में इसकी संलिप्तता रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उपरोक्त सक्रिय अपराधकर्मी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-2(डी०) में परिभाषित एन्टी सोशल एलिमेन्ट की श्रेणी में प्रतिवेदित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा उपरोक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के साथ सभी संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु कारणपृच्छा की मांग की गई। सूचना के तामिला उपरान्त विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक, शिवहर के द्वारा बताया गया है कि विपक्षी का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है:-

1. श्यामपुर भटहाँ थाना कांड सं०-87/14, दिनांक-27.11.2014, धारा- 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम दर्ज है। इसके अलावे कई अन्य कांडों में इसकी संलिप्तता रही है।

अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी के द्वारा किये गये आपराधिक कांडों से स्पष्ट होता है कि ये भा०द०वि० के अध्याय-17 के अन्तर्गत अपराध करते हैं। इनके द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या से इकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध धारा-3 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, शिवहर की अनुशंसा अपर लोक अभियोजन, शिवहर को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के अवलोकन एवं परिशीलन से इस बात से संतुष्ट होता हूँ कि आरोपी प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा 2 (डी०) (1) के अनुसार एक असामाजिक तत्व है तथा उनकी गतिविधियों, आचरण एवं स्वतंत्र विचरण से लोक शांति भंग हो सकती है तथा जन सधारण, जन सम्पत्ति को क्षति एवं विधान सभा आम चुनाव-2020 के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक शांति एवं लोक व्यवस्था भंग किया जा सकता है तथा किसी के पक्ष में मतदान करने को लेकर मतदाताओं को डराया एवं धमकाया जा सकता है। आगामी विधान सभा आम चुनाव-2020 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु इनके विरुद्ध कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इनके अपराधिक इतिहास में ऐसे कांड दर्ज है तथा तथ्य उपलब्ध है, जिससे यह विश्वास हो जाता है कि ये पुनः ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय

दंड विधान-1861 के अध्याय XVI या अध्याय-XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है, परिणाम स्वरूप इनपर नियंत्रण करना प्रशासन एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतः मैं अवनीश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, शिवहर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के उपधारा-3(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधकर्मी प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पे०-जगदीश सहनी सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहॉ, जिला-शिवहर, को शिवहर जिला में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश की तिथि से निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक यानि 03.11.2020 तक के लिए थाना बदर यानि श्यामपुर भटहॉ थाना क्षेत्र छोड़ने का आदेश देता हूँ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि फेनहारा थाना, जिला-पूर्वी चम्पारण में आदेश की तिथि से सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। वे लाठी, ब्लेड, चाकू, माचिस आदि या लोहे से निर्मित कोई भी वस्तु जो घातक हथियार की श्रेणी में आते हैं, अपने साथ नहीं रखेंगे। वे अपना आचरण एक आम नागरिक की तरह रखेंगे एवं कोई संदिग्ध/अवैध कार्य नहीं करेंगे।

फेनहारा थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में श्यामपुर भटहॉ थाना से थाना बदर किये गये प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पे०-जगदीश सहनी सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहॉ, जिला-शिवहर के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक शिवहर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की तीन प्रतियाँ पुलिस अधीक्षक शिवहर को तामिला कराकर वापस करने हेतु भेजी जाए जिसमें से एक प्रति थानाध्यक्ष श्यामपुर भटहॉ एवं एक प्रति तामिला के प्रमाण स्वरूप प्रभावी व्यक्ति प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पे०-जगदीश सहनी सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहॉ, जिला-शिवहर के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ अभिप्रमाणित कराकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लौटा दी जाए। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित कराई जाए।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु भेजें।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, शिवहर/पूर्वी चम्पारण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर एवं सभी थानाध्यक्ष शिवहर जिला को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।

ज्ञापांक 672/विधि

शिवहर,

दिनांक 13/10/20

प्रतिलिपि :- प्रमोद सहनी उर्फ नन्हक सहनी उर्फ नागा सहनी, पे०-जगदीश सहनी सा०-रामवन, थाना-श्यामपुर भटहॉ, जिला-शिवहर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी थानाध्यक्ष, शिवहर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, फेनहारा, जिला-पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
शिवहर।